

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक : एफ. 1(4)(1)न.पा./रा.नि.आ./14/ 808

दिनांक : 23.01.2026

आदेश

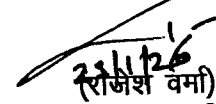
1. नगरपालिकाओं के समस्त निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यक के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है;
2. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं. 7178/2002 संघ बनाम एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मस् और अन्य में पारित आदेश दि. 2 मई, 2002 एवं रिट याचिका सं. 490/2002, 509/2002 और 515/2002 में पारित निर्णय दिनांक 13 मार्च, 2003 की अनुपालना में भारत निर्वाचन आयोग, ने संसद या राज्य विधानसभा का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी से उसके नामनिर्देशन पत्र के आवश्यक भाग के रूप में शपथित शपथ-पत्र के माध्यम से कतिपय सूचना मांगने के लिए निर्दिष्ट किया गया;
3. माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्वोक्त दो निर्णय संसद और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में मतदाताओं को सूचना का अधिकार सुनिश्चित करने के संदर्भ में दिये गये थे उनकी यह भावना ऐसे स्थानीय निकायों के निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं पर समान रूप से लागू होती है जिन्हें भी सांविधानिक प्रस्थिति प्रदत्त की गयी है। राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के मध्य शक्तियों की समानता इस तथ्य से देखी जा सकती है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यक के अन्तर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के समान हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा यह निश्चित किया गया कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों को स्थानीय निकायों के निर्वाचनों में भी लागू किया जाना चाहिए।
4. अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 यक (Article 243ZA) तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 11 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने पूर्व आदेश क्रमांक एफ. 4(1)(7)न.पा./रा.नि.आ./09/3795 दिनांक 04.10.2019 एवं आदेश क्रमांक एफ. 4(1)(7)न.पा./रा.नि.आ./2009/4007 दिनांक 14.10.2019 को अधिक्रमित करते हुए निर्देश देता है कि :-
 - (i) नगरपालिका, नगर परिषद, नगर निगम के सदस्य के पद का निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी इस आदेश के उपाबंध-I में दिये गये प्ररूप में 50/- रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (Non-judicial stamp paper) पर किसी न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या माननीय उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिशनर या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष सन्म्यक् रूप से शपथित शपथपत्र में विनिर्दिष्ट समस्त विषयों के संबंध में विस्तृत और पूर्ण जानकारी अपने नामनिर्देशन-पत्रों के साथ देगा।
 - (ii) किसी भी अभ्यर्थी द्वारा शपथपत्र का न दिया जाना इस आदेश का अतिक्रमण माना जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी का नामनिर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संवीक्षा करते समय नामंजूर करने योग्य होगा।
 - (iii) शपथ पत्र में कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाये। यदि किसी मद (item) के संबंध में कोई सूचना नहीं है तो, "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए। शपथ पत्र के कॉलम खाली पाये जाने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मेमो (स्मरण पत्र) जारी किया जायेगा इसके बाद भी अभ्यर्थी द्वारा कमी पूर्ति नहीं की जाती है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Writ Petition (civil) No. 121/2008 Resurgence India vs. Election Commission of India & Anr. में पारित निर्णय दिनांक 13.09.2013 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी का नामनिर्देशन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा संवीक्षा करते समय नामंजूर करने योग्य होगा।

- (iv) प्रत्येक अभ्यर्थी के शपथपत्र की फोटो प्रति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी और उसकी प्रतियां अन्य समस्त अभ्यर्थियों एवं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को माँगे जाने पर उपलब्ध कराई जावेगी।
- (v) यदि कोई अन्य अभ्यर्थी पैरा (i) में उल्लिखित पदों के निर्वाचनों के मामले में शपथपत्र के माध्यम से, प्रतिकूल सूचना देता है तो ऐसे शपथपत्र का भी ऊपर निर्दिष्ट रीति से प्रसार किया जायेगा; और
- (vi) रिटर्निंग अधिकारी शपथपत्र में दी गयी जानकारी की शुद्धता का सत्यापन नहीं करेगा और नामनिर्देशन पत्र को इस आधार पर अस्वीकार नहीं करेगा कि उसकी राय में दी गयी सूचना गलत है।
- (vii) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्रों/उपाबंध-I (शपथपत्र) की एक प्रति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर सर्वसाधारण की सूचनार्थ लगाई जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा नामनिर्देशन पत्रों/घोषणा पत्रों/उपाबंध-I की मूल प्रति के लिफाफे को सील नहीं किया जाना है।
- (viii) यदि नगरपालिका निर्वाचन से संबंधित किसी अभ्यर्थी के नामनिर्देशन पत्र के सैट की प्रतिलिपि किसी व्यक्ति द्वारा चाही जाती है तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा और उक्त रिकॉर्ड के जमा होने के पश्चात् जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी।
- (ix) नामनिर्देशन पत्र, संतान संबंधी घोषणा पत्र, दोषसिद्धि एवं विचाराधीन आपराधिक मुकदमों की सूचना, उपाबंध-I, कार्यशील स्वच्छ शौचालय के संबंध में सूचना एवं सांख्यिकी सूचना के फॉर्म को एक सैट मानते हुये उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जारी करने हेतु एक मुश्त प्रतिलिपि फीस रुपये 30/- (अक्षरे रुपये तीस मात्र) प्रति सैट निर्धारित की जाती है।
- (x) नामनिर्देशन पत्रों के सैट के संबंध में ही उपरोक्तानुसार (पैरा-3) एक मुश्त शुल्क निर्धारित किया गया है, शेष अन्य निर्वाचन संबंधी ऐसे कागजात, जिनकी प्रमाणित प्रतिलिपि जारी किया जाना प्रतिबन्धित नहीं है, के लिए निर्धारित शुल्क राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक 3148 दिनांक 06.11.99 (संलग्न) के अनुरूप ही होगा।
- (xi) उक्त सैट की प्रतियां सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत भी आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्त की जा सकती है। सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त होने पर उस अधिनियम के अन्तर्गत चलाए गए नियमों द्वारा प्रतिलिपि हेतु निर्धारित शुल्क ही प्रभार्य होगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों से सभी संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों एवं निर्वाचन से जुड़े अन्य अधिकारियों को अवगत कराया जावे। साथ ही समस्त रिटर्निंग आफिसर यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोग द्वारा इस आदेश में विहित किये गये शपथपत्र की प्रतियां अभ्यर्थियों को नामनिर्देशन पत्र के भाग के रूप में नामनिर्देशन पत्रों के प्रारूपों के साथ ही जायें।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


राजेश वर्मा
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक : प 1(4)(1) नपा/रानिआ/14/809-813
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान जयपुर।

2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी (नगरीय निकाय) मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान।
4. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को संबंधित को ई-मेल कराने हेतु।
5. लेखा/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(अम्बालाल मीणा)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

उपाबंध I
(शपथ पत्र)

नगरीय निकाय चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ-पत्र।

सदस्य वार्ड संख्या के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा नामनिर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ-पत्र।

मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी आयु वर्ष, जो ...
..... (डाक का पूरा पता लिखें) का निवासी हूँ,
और उपरोक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूँ, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शपथ पर निम्नलिखित
कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) (क) मैं (राजनैतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी हूँ।

(ख) मैं एक स्वतन्त्र अभ्यर्थी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ।
(जो लागू न हो उसे काट दें)

(2) मेरा नाम वार्ड संख्या के भाग सं के क्रम सं. पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा/मेरे संपर्क दूरभाष

(क) निवास

(ख) मोबाइल नं.

(4) आय-कर विवरणी फाईल करने की स्थिति :

क्र.सं.	नाम	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है।
1.	स्वयं	
2.	पति या पत्नी	
3.	आश्रित-1	
4.	आश्रित-2	
5.	आश्रित-3	

(5) मैं किसी लंबित मामले में छः माह या अधिक अवधि के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध का अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिये गये हों।

(यदि अभिसाक्षी के विरुद्ध ऐसा कोई आपराधिक मामला (मामले) लंबित है तो वह निम्न सूचना भरेगा।)

मेरे विरुद्ध छः माह या अधिक अवधि के कारावास के दण्डनीय निम्न मामले लंबित हैं जिनमें न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिये गये हैं।

(क)	संबंधित पुलिस थाना/ जिला/राज्य के विवरण सहित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. (FIR No.)	
(ख)	संबंधित अधिनियम की धारा और जिस अपराध का आरोप लगाया	

	गया है का संक्षिप्त विवरण	
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला सं. (Case No.) और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख (Date of Order taking cognizance)	
(घ)	न्यायालय जिसके द्वारा आरोप विरचित किये गये हैं।	
(ङ)	आरोप विरचित किये जाने की तारीख	
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाहियां सक्षम न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गई हैं।	

(6) मेरे विरुद्ध निम्न मामले लंबित है जिनमें न्यायालय द्वारा आरोप विरचित कर दिये गये हैं। (बिन्दु सं.(5) से भिन्न मामले)

(क)	संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के विवरण सहित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. (FIR No.)	
(ख)	संबंधित अधिनियम की धारा और जिस अपराध आरोप लगाया गया है का संक्षिप्त विवरण	
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला सं. (Case No.) और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख (Date of Order taking cognizance)	
(घ)	जिन मामलों में न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है उनका विवरण, अधिनियम धाराएं और अपराध का विवरण जिसके लिए संज्ञान लिया गया है।	
(ङ)	उपरोक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील, पुनरीक्षण के आवेदन (यदि कोई हो)	

(7) मुझे आपराधिक मामले में दोषसिद्ध किया गया है/नहीं किया गया है।

यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार दोष सिद्ध किया गया है तो वह निम्न सूचना देगा।

मुझे नीचे वर्णित मामलों में दोषसिद्ध किया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दण्डादेश दिया गया है।

(क)	मामले का विवरण, संबंधित अधिनियम की धारा और अपराध का विवरण जिसके लिए दोष सिद्ध किया गया है।	
(ख)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और आदेश की तारीख/माह/वर्ष	
(ग)	अधिरोपित दण्ड	

(घ)	क्या दोषसिद्धी के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाईल की गई है। यदि हाँ तो अपील का विवरण एवं वर्तमान स्थिति	
-----	---	--

टिप्पण:

- ब्यौरे स्पष्ट रूप से एवं सुपाठ्य अक्षरों में भरे जाने चाहिए।
 - प्रत्येक मद (item) के सामने विभिन्न कॉलमों के अधीन प्रत्येक मामले (case) के ब्यौरे पृथक रूप से दिये जाए।
 - ब्यौरे विलोम कालानुक्रम में दिये जाने चाहिए, अर्थात् नवीनतम मामलों को पहले वर्णित किया जाए और अन्य मामलों के लिए तारीखों के क्रम में पीछे की ओर वर्णित किया जाए।
 - यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त शीट जोड़ी जा सकती है।
- (8) यह कि मैं, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की चल और अचल सम्पत्ति आदि (Movable and immovable property etc.) के ब्यौरे नीचे देता हूँ :

अ. चल सम्पत्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में सम्पत्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनियोग की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिये जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर/डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - "आश्रित" से अभ्यर्थी के पुत्र, पुत्री या पति या पत्नी अभिप्रेत है, जिसके आय के पृथक साधन नहीं हैं और जो अपने जीवनयापन के लिए अभ्यर्थी पर आश्रित हैं।

टिप्पण 5 - प्रत्येक विनियोग के संबंध में रकम सहित ब्यौरे अलग-अलग दिए जाने हैं।

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	नकद					
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और सहकारी साहाय्यता समितियों के पास सभी तरह की जमा का विवरण और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम					
(iii)	कंपनियों के बंधपत्रों, ऋणपत्रों/शेयरों तथा यूनिट/म्युचल फण्ड और अन्य विनियोग का विवरण और रकम					
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों में विनियोग के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में					

	किन्हीं वित्तीय लेखों में विनियोग और रकम					
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम					
(vi)	मोटर वाहन/वायुयान/याच/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)					
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (वजन और मूल्य के ब्यौरे)					
(viii)	कोई अन्य सम्पत्ति जैसे कि दावों/हित का मूल्य					
(ix)	कुल सकल मूल्य					

ब. अचल सम्पत्तियों के ब्यौरे -

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में सम्पत्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 1 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (Location)					
	क्षेत्र (एकड़/हेक्टेयर में कुल माप)					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(ii)	गैर कृषि भूमि - अवस्थिति (Location)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(iii)	वाणिज्यिक भवन - अवस्थिति और पता (Location and address)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(iv)	आवासीय भवन/संस्थानिक भवन (अपार्टमेंट सहित) - अवस्थिति और पता (Location and address)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					

	किन्हीं वित्तीय लेखों में विनियोग और रकम					
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्य तथा रकम					
(vi)	मोटर वाहन/वायुयान/याच/पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)					
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (वजन और मूल्य के ब्यौरे)					
(viii)	कोई अन्य सम्पत्ति जैसे कि दावों/हित का मूल्य					
(ix)	कुल सकल मूल्य					

ब. अचल सम्पत्तियों के ब्यौरे -

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में सम्पत्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 1 - प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्र.सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (Location)					
	क्षेत्र (एकड़/हैक्टेयर में कुल माप)					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(ii)	गैर कृषि भूमि की अवस्थिति (Location)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(iii)	वाणिज्यिक भवन - अवस्थिति और पता (Location and address)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					
	अनुमानित वर्तमान बाजार मूल्य					
(iv)	आवासीय भवन/संस्थानिक भवन (अपार्टमेंट सहित) - अवस्थिति और पता (Location and address)					
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)					

- (ड) भागीदारी फार्मों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रित भागीदार हैं
- (च) प्राईवेट कम्पनियों द्वारा की गई संविदाओं के ब्यौरे, जिसमें अभ्यर्थी या उसका पति या पत्नी या आश्रितों का हिस्सा (share) है

(13) मेरी शैक्षिक योग्यता नीचे दिए अनुसार है :-

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम पूर्ण विवरण का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

सत्यापन

मैं, ऊपर उल्लिखित, अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है।

आज तारीख को सत्यापित किया गया।

अभिसाक्षी

- टिप्पण : 1. शपथपत्र नाम-निर्देशन पत्र दाखिल करने के अंतिम तिथि के निर्धारित समय तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- टिप्पण : 2. शपथपत्र पर किसी न्यायाधीश या किसी न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त शपथ कमिश्नर या किसी नोटेरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पण : 3. सभी कॉलम भरे जाने चाहिए और कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाये। यदि किसी मद (item) के संबंध में उपलब्ध कराने के लिए कोई सूचना नहीं है तो, "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पण : 4. शपथपत्र या तो टंकित (typed) या सुपाठ्य रूप से साफ-साफ (legibly and neatly) लिखा होना चाहिए।
- टिप्पण : 5. शपथपत्र 50/-रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर (Non Judicial Stamp Paper) पर दिया जायेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

क्रमांक : प.4(2)(1)पं./नपा/रानिआ/94/3148

जयपुर, दिनांक : 6.11.99

आदेश

सां.आ. 28/99 राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 74 में संशोधन किए गए हैं जिसके अनुसार अब नियम 74 में यह प्रावधान है कि रिटर्निंग अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए मतपत्र चाहे गिने हुए, नामंजूर, रद्द किए हुए या निविदित हों, और उनके प्रतिपणों के प्ररूप 14-क में मतदाता रजिस्टर के और मतदाता सूची की चिन्हित प्रति के पैकिटों तथा निर्वाचकों द्वारा की गयी घोषणाओं एवं उनके हस्ताक्षरों के अनुप्रमाणन के पैकिटों के अलावा निर्वाचन से संबंधित समस्त अन्य दस्तावेज ऐसी शर्तों के और ऐसी फीस के संदाय के, जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिश्चित की जाये, अध्यक्षीन जनता के निरीक्षण के लिये खुले रहेंगे और कोई भी व्यक्ति ऐसी शर्तों की अनुपालना करने पर और ऐसी फीस का संदाय करने पर उसकी या उसके किसी भाग की प्रति या प्रतियां प्राप्त करने का हकदार होगा।

अतः उक्त नियम 74 के अनुसरण में राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक : एफ. 1(2)(2)नपा/रानिआ/ 94/346 दिनांक 25.10.94 को जारी अपने साविधिक आदेश संख्या-6/94 का अधिक्रमण करते हुए निम्न प्रकार आदेश करता है :-

(1) निरीक्षण :-

(क) उक्त दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र लिखित रूप में दिये जायेंगे और उसमें उस अभिलेख का जिसका निरीक्षण अपेक्षित है, संबंधित विवरण दिया जाना चाहिये।

(ख) दस्तावेजों को निरीक्षण करने की किसी भी व्यक्ति को इसके लिये उसी दर पर शुल्क का भुगतान करने पर अनुमति दी जायेगी जो दर दस्तावेजों के निरीक्षण के लिये राजस्व न्यायालय नियमावली के प्रावधानों के तहत राजस्व अधिकारी द्वारा वसूल की जाती है।

(2) प्रमाणित प्रतिलिपि :- उक्त दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि उसके लिये आवेदन करने वाले किसी व्यक्ति को उसी दर पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेगी जो दर राज्य में राजस्व न्यायालय नियमावली के प्रावधानों के तहत किसी आदेश की प्रतिलिपि के लिये राजस्व अधिकारी द्वारा वसूल की जाती है।

(3) आवेदन पत्र में निरीक्षण के लिये या दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां दिये जाने के लिये आवेदक का अधिकार सिद्ध किया जाना चाहिये और इस प्रयोजन के लिये यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिये कि आवेदक का ऐसे दस्तावेज या दस्तावेजों में प्रत्यक्ष और सुनिश्चित हित है और ऐसा हित किस प्रकार का है।

(4) जब दस्तावेज का निरीक्षण करना या प्रमाणित प्रतियां लेना सरकारी प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो कोई फीस नहीं ली जायेगी।

(5) जब निर्वाचन अभिलेखों का निरीक्षण हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन समाप्त होने के तुरन्त बाद किया जा रहा हो तब कर्मचारियों द्वारा प्रभावकारी पर्यवेक्षण रखना आवश्यक है। अभिलेखों में किसी कागज के हटाये जाने से बचने के लिये बड़ी संख्या में लोगों को एक साथ निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

(6) प्ररूप-21 अंतिम परिणाम पत्र एवं प्ररूप-22 या यथास्थिति, प्ररूप-22-क में परिणाम की घोषणा की प्रतिलिपियां यदि मांगी जाये तो उसी दर पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जायेगी, जो उपरोक्त अभिलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियों की आपूर्ति के लिये लिया जाता है।

आज्ञा से,

—ह०—

(आर.के. पारीक)

उप सचिव,